भजनलाल सरकार ने 25-26 में कर राजस्व में 34.10 प्रतिशत वृद्धि की

कुशल वित्तीय प्रबंधन से कर राजस्व का आंकड़ा 1 लाख 38 हजार करोड़ रूपए पहुँचा

जयपुर, 19 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व में उल्लेखनीय और सतत वृद्धि दर्ज की गई है।

आय-व्यय अध्ययन 2026-27 के अनुसार, वर्ष 2022-23 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 87 हजार 347 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2023-24 में 7.72 प्रतिशत वृद्धि के साथ 94 हजार 86 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार, वर्ष 2024-25 में 9.80 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1 लाख 3 हजार 310 करोड़ रुपये हो गया।

यह वृद्धि आगे और तेज हुई तथा संशोधित अनुमान 2025-26 में यह राशि 34.10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1 लाख 38 हजार 540 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। बजट अनुमान 2026-27 में स्वयं के कर राजस्व का लक्ष्य 1 लाख 62 हजार 668 करोड़ रुपये रखा गया है, जोकि पिछले वर्ष से लगभग 17.41 प्रतिशत अधिक है। साथ ही, यह अनुमानित वृद्धि वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 72.9 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- **राज्य सरकार ने वर्ष 26-27 में कर राजस्व का लक्ष्य एक लाख 62 हजार 668 करोड़ रूपए निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष से 17.41 प्रतिशत अधिक है।**

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि प्रदेश के बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार में सहायक सिद्ध होगी। इस वृद्धि से आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में अधिक निवेश की संभावनाएं भी प्रबल होंगी।

'फ्री में सब कुछ मिलेगा तो काम कौन करेगा'

नई दिल्ली, 19 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की ओर से फ्री की योजनाओं पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाएं देने की संस्कृति की कड़ी आलोचना करते हुए गुरुवार को कहा कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। हर किसी को फ्री में बिजली देने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा।

तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक याचिका दायर कर उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर गौर किए बिना हर किसी को निःशुल्क बिजली प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।चीफ जस्टिस सूर्यकांतऔर जस्टिस जॉयमाल्य बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि अधिकतर राज्यों का राजस्व घाटे में हैं लेकिन वे विकास की अनदेखी करते हुए इस तरह की मुफ्त सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

पीठ ने पूछा कि बिजली शुल्क अधिसूचित होने के बाद तमिलनाडु की कंपनी ने अचानक जेब ढीली करने का फैसला क्यों किया।

नेता प्रतिपक्ष का अपमान देश का अपमान, संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगें- पायलट

उन्होंने कहा कि रिजिजू की भाषा सरासर अस्वीकार्य, अशोभनीय व निदंनीय है

मुम्बई, 19 फरवरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि रिजिजू की टिप्पणी बेहद अशोभनीय एवं निंदनीय है। प्रतिपक्ष के नेता, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें देश के लिए खतरा बताना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का घोर उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष का मुख्य काम सरकार से सवाल पूछना और उसकी जवाबदेही तय करना होता है, लेकिन सत्ता पक्ष न केवल उन्हें संसद में बोलने से रोकता है, बल्कि उनका माइक तक बंद कर देता है। पायलट ने स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति के पूरे परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाना सरासर अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू को अपना बयान तुरंत वापस लेना चाहिए और इस अमर्यादित आचरण के लिए पूरे देश से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।

- **कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने मुंबई में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केन्द्र की भाजपा सरकार के अमेरिका के साथ किये व्यापारिक समझौते को किसान विरोधी बताया।**

मुम्बई के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए पायलट कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा अमेरिका के साथ किया गया व्यापारिक समझौता किसान विरोधी एवं भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते आर्थिक तरक्की का रास्ता होने चाहिए, जो बराबरी की शर्तों पर आधारित हों, लेकिन वर्तमान सरकार ने देश के 140 करोड़ जनमानस की भावनाओं और हितों को दरकिनार कर इसे गुलामी के रास्ते पर धकेल दिया है।

एप्स्टीन से संबंधों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और भारत कार्यालयों के अध्यक्ष अंकुर वोरा करेंगे।''

इस बीच, केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जेफ्री एप्स्टीन से संबंधों को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुरी का कहना है कि उन्होंने एप्स्टीन से केवल तीन या चार बार ही मुलाकात की थी और वह भी एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में। कांग्रेस ने केन्द्रीय मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि 2014 से 2017 के बीच पुरी और एप्स्टीन के बीच 62 ईमेल का आदान-प्रदान हुआ और 14 बैठकें हुईं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह भी सवाल उठाया कि पुरी ने किस हैसियत से एप्स्टीन से संपर्क किया था। उन्होंने नई दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट पर भी टिप्पणी की और मीडिया में चल रही उन अटकलों का जिक्र किया, जिनमें कहा जा रहा था कि बिल गेट्स इसमें भाग नहीं लेंगे।

एप्स्टीन फाइल्स में हाल में हुए खुलासे बिल गेट्स के लिए गंभीर माने जा रहे हैं। एक नोट में कथित रूप से एप्स्टीन ने दावा किया कि उसने गेट्स को ''रूसी लड़कियों के साथ संबंधों के परिणामों से निपटने के लिए दवाएं'' दिलाने में मदद की थी। गेट्स ने इन आरोपों को ''पूरी तरह बेतुका और बिल्कुल झूठा'' बताया है।

इस बीच, एक हालिया साक्षात्कार में मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने कथित रूप से कहा कि उनके पूर्व पति की एप्स्टीन से मुलाकातें, उनकी 27 साल पुरानी शादी टूटने के कारणों में से एक थीं।

'बिना इजाज़त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो पहले अदालत की अनुमति लेंगे। अंबानी ने यह हलफनामा पूर्व नौकरशाह ईएएस सरमा की याचिका के जवाब में दिया है। सरमा ने अपनी जनहित याचिका में एडीएजी और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ कथित 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले की निष्पक्ष, तुरंत और बिना भेदभाव जांच की मांग की है।

प्र.मंत्री मोदी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधानमंत्री ने डीप फेक जैसी चुनौतियों का जिक्र किया और कहा कि जैसे खाने की चीजों पर लेबल लगता है कि उसमें क्या है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी लेबलिंग जरूरी है ताकि लोग सच-झूठ पहचान सकें।

इसकी स्पीड और स्केल इतनी बड़ी है कि इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतनी होगी। एआई को खुली छूट मिलनी चाहिए, लेकिन कमान हमारे हाथ में होनी चाहिए।

विकासशील देशों के लिए एआई को लोकतांत्रिक बनाना जरूरी है। मनुष्यों को सिर्फ डेटा का स्त्रोत नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि एआई को सशक्तिकरण का माध्यम बनाना होगा।

देश के बाकी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि पिछले साल जुलाई में बिहार को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एसआईआर प्रक्रिया के लिए रिवीजन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था।

वर्ष 2025 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि पिछले पाँच वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने मामलों के निपटारे की गति बढ़ाई है। करोना महामारी के वर्षों के बाद इसमें खास बढ़ोतरी हुई और ऐतिहासिक स्तर पर मामलों का निपटारा हुआ। फिर भी लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती रही। इसका मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाले मामलों की बढ़ती संख्या है। पिछले पाँच वर्षों का केस क्लियरेंस रेट (सीसीआर), यानी किसी एक वर्ष में दाखिल मामलों की तुलना में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत (प्रोडक्टिविटी) इस उत्पादकता के विरोधाभास की साफ तस्वीर पेश करता है।

1641 के बाद इंगलैंड के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें मृत्युदंड दिया गया। इस घटना से पूरे यूरोप के शाही परिवारों और अभिजात वर्ग में भय फैल गया था।

लेकिन आज पूर्व राजकुमार एंड्रयू की गिरफ्तारी कोई हल्की बात नहीं है। एंड्रयू माउंटबैटन-विंडसर को थेम्स वैली पुलिस ने सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन में यह शब्दावली आमतौर पर महत्वपूर्ण राजकीय गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए प्रयुक्त होती है।

हालांकि पुलिस ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन जैफरी एप्स्टीन के केस की जाँच कर रहे यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी किए गए पेपर्स संकेत देते हैं कि संभव है, उन्होंने गोपनीय सामग्री एप्स्टीन को दी हो।

पूर्व राजकुमार एंड्रयू 2000 के शुरुआती दशक में लगभग एक दशक तक ब्रिटेन के व्यापार दूत (ट्रेड एन्वॉय) रहे थे। उन पर संदेह है कि उन्होंने उसी दौरान एप्स्टीन को जानकारी दी। व्यापार दूत के रूप में वे उसी गोपनीयता की शपथ के अधीन थे, जिस प्रकार कोई भी ब्रिटिश मंत्री होता है।

आज उनकी गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके बड़े भाई किंग चार्ल्स तृतीय ने कहा कि वे इस पूरे मामले को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे एंड्रयू की निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया में उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करेंगे।

प्रसिद्ध लेखक जॉन मिल्टन, जिन्होंने ''पैराडाइज लॉस्ट'' और ''पैराडाइज रीगेन्ड'' लिखी थी, ने भी अपने समय में किंग चार्ल्स प्रथम की गिरफ्तारी और उनके दंड का समर्थन किया था। उस समय राजाओं को ईश्वर प्रदत्त अधिकार-सम्पन्न व्यक्ति माना जाता था और उन्हें कानून से ऊपर समझा जाता था।

लेकिन सच कहें तो यह आरोप उनपर लगे गंभीर आरोपों की तुलना में हल्का है। उन पर महिलाओं की तस्करी और एक नाबालिग के साथ यौन संबंध रखने जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। ये मामले एप्स्टीन प्रकरण के दौरान सामने आए, जिसमें दुनिया के कई प्रभावशाली लोग भी शामिल थे।

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी एप्स्टीन दस्तावेज़ों में दुनिया के अभिजात वर्ग और जेफरी एप्स्टीन के संबंधों का खुलासा हुआ था। एप्स्टीन एक विवादास्पद वित्तीय कारोबारी था, जिसने विश्व के प्रभावशाली लोगों के बीच संबंधों और लाभ पाने का एक बदनाम नेटवर्क बनाया था।

अपने व्यावसायिक कामों के साथ-साथ उसने अपने ग्राहकों के लिए यौन शोषण और मनोरंजन का एक कुख्यात नेटवर्क भी बनाया था, जिसमें नाबालिगों से जुड़े यौन कृत्यों के आयोजन भी शामिल थे। उसने अमेरिका की जेल में आत्महत्या कर ली थी।

एंड्रयू पर आरोप था कि उन्होंने वर्जीनिया गियुफ्रे को, जब किशोरावस्था में थी, बहला-फुसलाकर उसके साथ यौन संबंध बनाए। यह कानून के तहत गंभीर अपराध है। बाद में वर्जीनिया ने एक पुस्तक लिखी, जिसमें बताया कि कैसे उसे एप्स्टीन के जाल में फंसाया गया और बार-बार उसका यौन शोषण किया गया।

वर्जीनिया ने अमेरिका में प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया था, जिसे बाद में अदालत के बाहर समझौते के जरिए समाप्त किया गया। बताया गया कि समझौते के तहत वर्जीनिया को लाखों डॉलर दिए गए। दुख की बात है कि बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली।

संभव है कि कुछ दस्तावेजों और तस्वीरों के सार्वजनिक होने के बाद एंड्रयू की गिरफ्तारी लगभग तय हो गई थी। एक तस्वीर में वे जमीन पर लेटी एक महिला के ऊपर घुटनों के बल बैठे दिखाई दिए। सार्वजनिक रूप से इससे अधिक अपमानजनक दृश्य शायद ही कोई हो सकता था।

तस्वीर के सार्वजनिक होने के बाद यह संभव नहीं था कि ब्रिटिश शाही परिवार की एंड्रयू द्वारा जो सार्वजनिक बेइज़्ज़ती की जा रही थी, उसे नज़रअंदाज़ किया जा सके।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908